केन्द्र सरकार के वे अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र हैं जो 'क' तथा 'ख' क्षेत्र (अर्थात बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र) में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा 'ग' क्षेत्र (जिसमें 'क' व 'ख' क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं) में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखे।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नकद पुरस्कार देय हैं:—

(क) केन्द्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:—

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) — प्रत्येक रु० 500/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) — प्रत्येक रु० 300/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) — प्रत्येक रु० 150/-

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:—

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) — प्रत्येक रु० 400/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) — प्रत्येक रु० 200/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) — प्रत्येक रु० 150/-

3. अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना।

इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है या जो सामान्यतः डिक्टेशन देते हैं इस योजना में शामिल हो सकते हैं। सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय इस योजना को स्वयं चला सकते हैं और पुरस्कार के लिए आवश्यक हिन्दी डिक्टेशन कार्य की न्यूनतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 500/- रुपये का पुरस्कार रखा जा सकता है। पुरस्कार दो भी रखे जा सकते हैं। एक पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिनका घोषित निवास स्थान "क" तथा "ख" क्षेत्र के अंतर्गत हो और दूसरा पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिनका घोषित निवास स्थान "ग" क्षेत्र में हो।

बांका और गोड्डा जिलों में एल पी जी एजेंसियां

*30. **श्री जनार्दन यादव:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बांका और गोड्डा जिलों में इस समय कितनी एल पी जी एजेंसियां हैं:

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन जिलों के लोगों को एल पी जी की आपूर्ति नहीं की जा रही है और जो भी छिटपुट आपूर्ति की जा रही है, उसे अन्य जिलों से लाना पड़ता है, जिससे भारी कठिनाई होती है; और

(ग) क्या सरकार इन जिलों में नई गैस एजेंसियां खोले जाने को मंजूरी देने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैएन सतीश शर्मा): (क) से (ग) वर्तमान समय में बिहार के गोड्डा अथवा बांका जिलों में कोई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत नहीं है।

बांका में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए आशय-पत्र दिसम्बर, 1995 में पहले ही जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर के चयन के लिए गोड्डा के संबंध में विज्ञापन भी दे दिया गया है। आशय पत्र के धारकों द्वारा आवश्यक औपचारिकता पूरी कर दिए जाने के बाद इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को शीघ्र ही चालू किए जाने की संभावना है।

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाना

*31. **श्री अजीत जोगी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आवेदकों को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या पासपोर्ट कार्यालय इस संबंध में दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यसंचालन को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील रहती है। इस बारे में सरकार ने कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने, कार्यालयी सुविधाओं का उन्नयन जिनमें कम्प्यूटरीकरण भी शामिल है, पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से प्रणालियों और कार्यविधियों की समीक्षा,

पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई जैसे कई कदम उठाए हैं।

(ख) से (ङ) कार्यात्मक और व्यवहारिक कारणों से नए पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित कर पाना सम्भव नहीं है। पासपोर्ट जारी करने की निम्नलिखित प्रक्रिया है:— आवेदन पत्रों और अपेक्षित दस्तावेजों की जांच करना, उन पर कार्रवाई करना, पुलिस साक्ष्यांकन और पासपोर्ट तैयार करके उनको जारी करना। पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला समय निम्न बातों पर निर्भर है: किसी भी पासपोर्ट कार्यालयविशेष में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, उपलब्ध कर्मचारियों और आधारभूत सुविधाएं आदि। गृह मंत्रालय की इस सहमति को देखते हुए कि अगर तीन सप्ताह की समय अवधि में पुलिस साक्ष्यांकन रिपोर्ट प्राप्त न हो तो पासपोर्ट जारी कर दिया जाए, पासपोर्ट कार्यालय शीघ्रातिशीघ्र पासपोर्ट जारी करने का प्रयास करते हैं।

Installation of Pollution Control Equipments by Sugar mills.

*32. SHRI MOOLCHAND MEENA:
SHRI SANJAY DALMIA:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it was made mandatory by Government for all the sugar mills set up before May, 1981, to instal the pollution control equipments upto the 31st December, 1993;

(b) if so, the details thereof;

(c) the state-wise details of sugar mills which have not installed the said equipments so far; and

(d) the action taken/being taken by the Government against such mills?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) A notification was issued on 12.02.1992 under the Environment (Protection) Act, 1986 direction all industries, including sugar mills, to install the necessary pollution control devices to comply with the prescribed environmental standards by December, 1993, The environmental standards for sugar mills were issued on 19.11.1986.

(c) and (d) Central Pollution Control Board is monitoring the compliance of the units. The details of the sugar mills which have not installed effluent treatment plants (ETP) so far and the action taken in such cases is given in the statement laid on the Table of the House.

Statement

Status of the Defaulting Sugar Industries

	Name of the Unit	Action taken
Andhra Pradesh		
01.	M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., Bobbili, Vizianagaram Dist.	ETP under construction.
02.	M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., Sithanagaram, Vizianagaram Dist.	-Do-